

न्यायालय: अरविन्द सिंह न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,
नियासी जिला-टीकमगढ़ (ग०प्र०)

आपेकक्र०-815/2006
संस्थापित दिनांक 26.09.05

नंकर आवेदन क्र० 1372/15
न्याय शुल्क 22/5
दिनांक 09-09-15

मध्य प्रदेश राज्य द्वारा शाना निवासी
जिला टीकमगढ़ (ग०प्र०)

—अभियोजन

// बनाम //

1. संतराम र्फ संतू पाल तनय अमान, उम्र-38 वर्ष, निवासी-ग्राम बनगुवा थाना-बछआसागर झांसी
2. मान सिंह तनय मेहताव सिंह यादव, उम्र-35 वर्ष,
3. शेर सिंह तनय मेहताव सिंह यादव, उम्र-34 वर्ष
4. अतर तनय मेहताव सिंह यादव, उम्र-44 वर्ष
5. सुरेन्द्र सिंह तनय मेहताव सिंह, उम्र-40 वर्ष,
6. मुलायम (फरार घोषित) तनय मेहताव सिंह उम्र-39 वर्ष, पांचो निवासी-जराय का मठ बछआसागर जिला झांसी उ०प्र०
7. धर्मेन्द्र तनय नारायण खंगार, उम्र-38 वर्ष,
8. हेमराज तनय शिवचरन खंगार, उम्र-48 वर्ष,
9. रमेश खंगार तनय रमेश खंगार, उम्र-55 वर्ष, तीनों निवासी-ग्राम भगवंतपुरा, थाना-सदर बाजार झांसी उ०प्र०
10. पप्पू र्फ अक्वेश तनय सुंदरलाल तिवारी, उम्र-45 वर्ष, निवासी-ग्राम पुतरी खेरा, थाना-सैदरी
11. चन्द्रशेखर तनय के.बी. शुक्ला, उम्र-50 वर्ष, निवासी-सिविल लाईन झांसी उ०प्र०

—अभियुक्तगण

- राज्य द्वारा सहायक जिला लोक-अभियोजन अधिकारी।
- अभियुक्तगण संतराम र्फ संतू, अतर सिंह, सुरेन्द्र सिंह, शेर सिंह, मान सिंह द्वारा अधिवक्ता श्री आर०आर० साहू।
- अभियुक्तगण पप्पू र्फ अक्वेश, रमेश खंगार, हेमराज, धर्मेन्द्र, चन्द्रशेखर शुक्ला द्वारा अधिवक्ता आर०बी० खरे।
- अभियुक्त मुलायम सिंह यादव फरार घोषित।

11.8.15
अरविन्द सिंह
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
टीकमगढ़ (ग.प्र.)

8/78

नोट—अभियुक्त मुलायम सिंह यादव का प्रकरण में फरार हो जाने से उसके विरुद्ध स्थाई गिरफ्तारी चार्ज जारी किया गया है तथा अन्य अभियुक्तगण संतराम उर्फ सतू, अतर सिंह, सुरेन्द्र सिंह, शेर सिंह, मणू सिंह, पणू उर्फ अवधेश, रमेश खंगार, हेमराज, धर्मेन्द्र, चन्द्रशेखर शुक्ला के संबंध में यह निर्णय पारित किया जा रहा है।

// निर्णय //

[आज दिनांक 11.08.2015 को घोषित]

01/ अभियुक्तगण के विरुद्ध धारा 147, 148, 336, 427 मादरांसा के अंतर्गत इस आशय के आरोप है कि उन्होंने दिनांक 20.07.2005 को दिन में करीब 10:00 बजे ग्राम—बासवान बरूआनाला थाना निवाड़ी क्षेत्रांतर्गत विधि विरुद्ध जमाव गठित किया जिसका सागान्य उद्देश्य फरियादी राजेन्द्र नायक, कैलाश तिवारी एवं अन्य लोगों का मानव जीवन संकटापन्न करना एवं मोटरसाइकिलों और जीप को क्षतिग्रस्त कर रिश्ती फ़ारित करना तथा अन्य अपराध करना था तथा उक्त जमाव के सदस्य होते हुए सामान्य उद्देश्य के अंग्रशरण में घातक आयुध राईफल, कट्टा, बंदूकों आदि से सुसज्जित होते हुए विधि विरुद्ध जमाव में भाग लेकर बल या हिंसा का प्रयोग करके बलबा कारित किया एवं उसी समय उपेक्षा या उतावलेपन से राईफल, कट्टा से फायर करके मानव जीवन या दैयक्तिक क्षेम संकटापन्न किया एवं मोटरसाइकिले एवं जीप तोडकर रिश्ती कारित की।

02/ अभियोजन का मामला संक्षेप में इस प्रकार है कि फरियादी राजेन्द्र उर्फ राजू नायक ने धाना निवाड़ी आकर लिखित रिपोर्ट की थी कि वह सुनील वंशकार के साथ रेत खदान बांसवान तहसील निवाड़ी जिला टीकमगढ़ में पार्टनर है। घटना दिनांक 20.07.2005 को सुबह 10:00 बजे के लगभग बासवान स्थित रेत खदान पर घाट पर मणू उर्फ सीमा में अपने साथियों व पार्टनरों संजय राय, सोनू जैन, कैलाश तिवारी एवं घाट पर कार्यरत कर्मचारियों कमलेश, सुरेन्द्र राय, सोनू तिवारी, राजेन्द्र राय, कल्लू रजक के साथ खाना खा रहे थे तभी आरोपीगण रमेश, हेमराज, धर्मेन्द्र खंगार, मुलायम सिंह यादव, अतर सिंह यादव, मणू सिंह यादव, सुरेन्द्र यादव, शेरू यादव, चन्द्रशेखर शुक्ला, अवधेश उर्फ पणू तिवारी, संतराम उर्फ सतू पाल एकराय होकर हथियारों से लेश होकर घटनास्थल ग्राम बासवान स्थित रेत खदान पर आए और बोले कि मादरचोद खदान चलाना है तो पचास हजार रुपया महीना देना पड़ने नहीं तो ठेका नहीं चल पायेगा तथा गालियां देने लगे और धमकियां देने लगे, तब फरियादी ने कहा कि कोई चोरी का काम नहीं कर रहा हूं जो तुम्हें पचास हजार रुपया दूं फरियादी के इतना कहने पर रमेश खंगार ने अपने हाथ में ली हुई राईफल से फायर कर दिया जो उसके कंधे के पास से निकल गया। फरियादी लेट गया और बचाव करने लगा तब रमेश खंगार एवं उसके साथियों ने अवैध हथियार एवं कट्टा से उसके उपर और उसके साथियों के उपर फायर करना शुरू कर दिया। फरियादी और उनके साथी दौड़कर भागे और

179

1/49

11.8.15
सुरेन्द्र सिंह
न.अ.अ. 1.2.2015

जान बचाई, गौके पर ग0प्र0 की सीमा में रखी सनकी महिन्द्रा जीप नंबर एम.पी. 15 ए 0648 एवं होण्डा पेशन मोटरसाईकिल और बजाज कैलेवर मोटरसाईकिल को पत्थर, खण्डा आदि से बुरी तरह कुचलकर क्षतिग्रस्त कर दिया।

03/ : फरियादी की लिखित रिपोर्ट पर थाना निवाड़ी के अपराध क्रमांक 151/05 पर प्रथम सूचना रिपोर्ट लेख की गई। विवेचना के अनुक्रम में घटना स्थल पर जाकर फरियादी के बताये अनुसार घटना स्थल पर नक्शामौका तैयार किया गया, घटना से संबंधित साक्षीगण राजेन्द्र सोनू, कैलाश नारायण, संजय, सुरेन्द्र राय, राजेन्द्र पुत्र प्रेमनाथराय राय, कमलेश, कल्लू रजक, सोनू तिवारी और सुनील के कथन उनके बताए अनुसार लेखबद्ध किये गये। अभियुक्तगण को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पत्रक तैयार किये गये, अभियुक्तगण को जमानत मुचलका पर रिहा किया गया, मकान तलासी ली गई, घटनास्थल से उक्त जीप एवं क्षतिग्रस्त मोटरसाईकिल जप्त कर जप्तीपत्रक तैयार किया गया। अनुसंधान पूर्ण होने के पश्चात आरोपीगण के विरुद्ध अभियोगपत्र न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।

04/ अभियुक्तगण को निर्णय के पैस एक में वर्णित आरोप पढ़कर सुनाये व समझाये जाने पर उन्होंने अपराध घटित किया जाना अस्वीकार किया तथा धारा 313 द.प्र.सं. के तहत परीक्षण किये जाने पर अभियोजन साक्षियों के कथनों को अस्वीकार किया तथा व्यक्त किया कि वह निर्दोष हैं, उन्हें इस केस में झूठा फसाया गया है अभियुक्त मान सिंह का कहना है कि साक्षी कैलाश तिवारी के रिपोर्ट कर्ता राजेन्द्र नायक रिश्तेदार हैं, कैलाश तिवारी से उसकी रंजिश चली आ रही है उसने पूर्व में अपने भाई मनीष तिवारी की हत्या के केस में झूठा फसाया गया था तथा इस केस में भी रंजिशान झूठा फसाया गया है परंतु बचाव में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं हुआ।

05/ **प्रकरण के निराकरण के लिए न्यायालय के समक्ष मुख्य विचारणीय प्रश्न निम्नलिखित हैं :-**

"क्या अभियुक्तगण ने घटना दिनांक 20.07.2005 को दिन में करीब 10:00 बजे ग्राम-बासवान बरुआनाला थाना निवाड़ी क्षेत्रांतर्गत विधि विरुद्ध जमाव गठित किया जिसका सामान्य उद्देश्य फरियादी राजेन्द्र नायक, कैलाश तिवारी एवं अन्य लोगों का मानव जीवन संकटापन्न करना एवं मोटरसाईकिल और जीप को क्षतिग्रस्त कर रिस्टा कारित करना व अन्य अपराध करना था तथा उक्त जमाव के सदस्य होते हुए सामान्य उद्देश्य के अग्रशरण में -

- 1-बल या हिंसा का प्रयोग कर बलवा कारित किया ?
- 2-घातक आयुध से सुसज्जित होकर बलवा कारित किया ?
- 3-सही समय उपेक्षा या उतावलेपन से राईफल, कट्टा से फायर करके मानव जीवन या वैयक्तिक क्षेम संकटापन्न किया ?
- 4-मोटरसाईकिले एव जीप तोड़कर रिस्टा कारित की ?

अरविन्द सिंह

अधिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी

साक्षी विवेचना एवं निष्कर्ष :-

- 06/ उक्त सभी विचारणीय प्रश्नों का एक ही घटना से संबंधित होने के कारण, साक्ष्य के दोहराव से बचने के लिये एवं साक्ष्य विवेचन में सुविधा की दृष्टि से सभी प्रश्नों को एक साथ लिया जा रहा है।
- 07/ अभियोजनपत्र की ओर से मामले के सम्बन्ध में लखनलाल चौबे (अ0सा0-1), कमलेश रजक (अ0सा0-2), सुरेन्द्र राय (अ0सा0-3), संजय राय (अ0सा0-4), नैजनाथ सिंह (अ0सा0-5), रोशन जैन, चर्क सोनू (अ0सा0-6), राजेन्द्र नायक (अ0सा0-7), कैलाश तिवारी (अ0सा0-8) को परीक्षित कराया गया। बचावपत्र की ओर से कोई साक्षी प्रस्तुत नहीं किया गया है।
- 08/ फरियादी राजेन्द्र नायक चर्क राजू अ0सा0 7 का अपने न्यायालयीन कथनों में कहना है कि वह आरोपीगण चन्द्रशेखर शुक्ला, पप्पू चर्क अवधेश, रमेश खंगार, अतर सिंह, संतराम, मानसिंह, शेरसिंह और सुरेन्द्र सिंह को जानता है इस साक्षी ने पहले व्यक्त किया कि वह आरोपीगण धर्मेन्द्र खंगार और हेमराज को नहीं जानता है परंतु इस साक्षी ने अपने परीक्षण के पैरा 4 में यह व्यक्त किया कि आरोपी हेमराज एवं धर्मेन्द्र खंगार मौके पर मौजूद थे लेकिन वे लोग पीछे की तरफ थे और उन्होंने पीछे से फायरिंग की थी तथा वह इन आरोपीगण को भी जानता है। इस साक्षी के उक्त कथनों के आधार पर यह स्पष्ट होता है कि उक्त साक्षी जो इस प्रकरण में फरियादी हैं उक्त सभी दसों आरोपीगणों को पहचानता है। इस साक्षी ने आगे व्यक्त किया कि घटना वर्ष 2005 की गर्मियों के समय की सुबह 10:00 बजे की है इस साक्षी ने अपने प्रतिपरीक्षण के पैरा 06 में भी यह बताया है कि घटना दिनांक 20.07.2005 की बुधवार दिन की है।
- 09/ फरियादी राजेन्द्र नायक अ0सा0 7 का कहना है कि घटना ग्राम बासवान में रेत खदान के पास की है उस समय वह बासवान में रेत खदान पर बैठा था उसके साथ कैलाश तिवारी, सोनू तिवारी, सुनील बंशकार आदि लोग बैठे थे। रेत खदान का ठेका सुनील बंशकार के नाम से था जिसमें वह, कैलाश तिवारी, सोनू तिवारी तथा दो कर्मचारी और थे यह लोग भी पार्टनर थे। सुबह दस बजे वे लोग खाना खा रहे थे तभी रमेश खंगार, पप्पू चर्क अवधेश, चन्द्रशेखर शुक्ला, मानसिंह, शेरसिंह, अतर सिंह, मुलायम यादव एवं संतराम वहां आ गए तथा उक्त आरोपीगण बोले की यहां हमारा राज्य चलता है और हमारे बिना तुम रेत का ठेका नहीं चला पाओगे तथा या तो रेत खदान के ठेका में उन्हें पार्टनर बनाओ या पचास हजार रुपया महीना दो, इस बात पर फरियादी राजेन्द्र तथा उसके साथ वालों ने आरोपीगण से कहा कि वह रुपया नहीं देंगे और न ही पार्टनर बनायेंगे। इसी बात पर आरोपीगण मादरबोद की गोलियां देने लगे और बोले की यहां रहने नहीं देंगे एवं उसी समय आरोपी रमेश खंगार, पप्पू चर्क अवधेश, चन्द्रशेखर शुक्ला, शेर सिंह, मुलायम सिंह, मानसिंह, अतर सिंह और संतराम ये सभी लोग राईफल, 315 बोर की दुनाली तथा एक नाली बंदूक लिए हुए थे तथा उनके साथ जो लोग पीछे थे उनके हाथ में कौन से हथियार थे वह देख नहीं पाया लेकिन उन सभी लोगों ने फायरिंग शुरू कर दी। मौके पर रखी हुई जीप और तीन मोटोसाइकिलों में गोलियां लगी थीं। फिर फरियादी और उसके साथ के लोग पीछे की तरफ भागे थे उनके पीछे भी आरोपीगण ने फायरिंग की थी इससे वे लोग दौड़े थे इसके बाद मौके पर रखी हुई जीप एवं मोटोसाइकिलें आरोपीगण उठा ले गए थे और उनमें तोड़-फोड़ की और

11.8.15

अरविन्द सिंह

अधिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी

8/81

पत्थरों से कुचला और बुरी तरह से क्षतिग्रस्त कर दिया। उसके बाद फरियादी और सराके साथ के लोग निपाड़ी थाने में आए और फरियादी राजेन्द्र ने लिखित रिपोर्ट की थी उसके द्वारा की गई लिखित रिपोर्ट प्र.पी. 01 है जिसके पृ से पृ मांग पर उसने अपने हस्ताक्षर होना बताया है।

10/ अभियोजन के अन्य साक्षी कैलाश तिवारी अ/सा. 8 ने भी फरियादी का समर्थन करते हुए अपने न्यायालयीन कथनों में व्यक्त किया कि वह आरोपी मुलायम सिंह यादव, अतर सिंह यादव, मान सिंह यादव, सुरेन्द्र सिंह यादव, शेख यादव को जानता है तथा शेष आरोपीगण को शक से नहीं जानता है लेकिन सामने आने पर पहचान लेगा। घटना दिनांक को वह बासवान घाट पर रेत खदान में पार्टनर था ठेका सुनील बंसकार के नाम पर था घटना के समय रेत खदान पर राजेन्द्र नायक, संजय राय, कमलेश कुम्हार, सुरेन्द्र राय, सोनू तिवारी, कल्लू रजक, सोनू जैन और अन्य लोग थे वे सभी लोग खदान पर मौजूद थे कुछ लोग खाना खा रहे थे और कुछ बैठे थे रेत खदान पर सात-आठ लोग बन्दूक, कदटा व रिवाल्वर लेकर आए तथा जो लोग हथियार लेकर आए उसमें अतर सिंह, मुलायम सिंह, सुरेन्द्र यादव, शेख यादव, मानसिंह तथा संतराम पाल तथा इनके साथ चार-पांच लोग और थे तथा उपरोक्त लोगों ने आकर कहा कि रेत खदान का ठेका चलाना है तो पचास हजार रुपये का महिना दो नहीं तो ठेका नहीं चलने देंगे एवं कदटा, बंदूकों से फायर किया तथा मौके पर बॉबी अग्रवाल की मोटरसाईकिल रखी थी तथा एक मोटरसाईकिल गुरत कौशिक की थी जिसे वह लेकर गया था आरोपीगण ने सरिया, पत्थर, खंजा पटक कर दोनों मोटरसाईकिलों को क्षतिग्रस्त कर दिया था तथा सोनू जैन की मौके पर ही जीप भी थी वह भी आरोपीगणों ने क्षतिग्रस्त कर दी थी दोनों मोटरसाईकिलों की रिपेयरिंग में लगभग 35,000/- रुपये लगे थे तथा जीप में भी नुकसान हुआ था।

11/ इस साक्षी ने न्यायालय में उपस्थित आरोपीगण रमेश खंगार, हेमराज, धर्मन्द्र, चन्द्रशेखर शुक्ला, अवधेश तिवारी को देखकर बताया कि ये लोग घटना के समय मौजूद नहीं थे। इस साक्षी ने न्यायालय द्वारा सूचक प्रश्न पूछे जाने पर भी इस बात से इंकार किया है कि उसने अपने पुलिस कथन प्र.पी. 11 में यह नहीं बताया था कि आरोपीगण के साथ में रमेश खंगार, हेमराज, धर्मन्द्र, चन्द्रशेखर शुक्ला तथा अवधेश तिवारी भी आए थे एवं उन्होंने भी पचास हजार रुपयों की मांग की थी और फायर किए थे एवं गाड़ियों की तोड़फोड़ की थी। इस साक्षी को सुझाव दिए जाने पर उसने इस बात से इंकार किया कि ऐसा नहीं है कि उक्त पांचों आरोपीगण से उसने न्यायालय के बाहर राजीनामा कर लिया है इसलिए वह सही बात नहीं बता रहा है। इस साक्षी ने अभियोजन प्रकरण का पूर्णतः समर्थन किया है तथा केवल पांच आरोपीगण रमेश खंगार, हेमराज, धर्मन्द्र, चन्द्रशेखर शुक्ला तथा अवधेश तिवारी का घटनास्थल पर उपस्थित होने से इंकार किया है। परंतु इस साक्षी ने अपने न्यायालयीन मुख्य परीक्षण में पैस तीन में यह स्वीकार किया है कि घटनास्थल पर और क्या हुआ था उसे आज याद नहीं है क्योंकि घटना को काफी समय हो गया है। यहां यह भी ध्यान देने योग्य है कि घटना दिनांक 20.07.05 की है एवं इस साक्षी के कथन न्यायालय में दिनांक 07.09.2013 को अर्थात् घटना के करीब आठ साल बाद हुए हैं तथा इतने दिनों बाद वह घटना में शामिल सभी आरोपीगणों को नहीं पहचान पाया तो यह कोई अचरज की बात नहीं है। साथ ही यहां यह भी ध्यान देने योग्य है कि इस साक्षी ने आरोपीगण अतर सिंह,

अतर सिंह

अधिकाधिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी

अधीनस्थ (प्र.प.)

मुतायम सिंह, सुरेन्द्र सिंह, शेख, संतराम के साथ चार-पांच लोगों को और हो-के बताया है कि उसके कथनों से यह स्पष्ट होता है कि आरोपीगण, करीब दस-बारह लोग थे। साथ ही फरियादी राजेन्द्र नायक असां 07 स्पष्ट रूप से सभी आरोपीगण की पहचान की है ऐसी स्थिति में साक्षी कैलाश तिवारी असां 08 द्वारा कुछ आरोपीगण को न पहचानने से यह नहीं माना जा सकता कि आरोपीगण रमेश, धर्मेन्द्र, हेमराज, चन्द्रशेखर, अमरेश घटना में शामिल नहीं थे।

12/ अभियोजन के अन्य साक्षी प्रधान आरक्षक लेखनलाल चौधे असां 1 ने अपने न्यायालयीन कथनों में व्यक्त किया कि वह दिनांक 20.07.2005 में थाना निवाड़ी में प्रधान आरक्षक लेखक के पद पर पदस्थ था उक्त दिनांक को फरियादी राजेन्द्र नायक चर्च राजू पुत्र रामलखन नायक ने थाना आकर एक लिखित आवेदन थाना प्रभारी के नाम से पेश किया था जो प्रपी 01 है उक्त लिखित आवेदन के आधार पर उसने थाना निवाड़ी के अपराध क्रमांक 151/05 पर अंतर्गत धारा 147, 148, 149, 336, 427, 506 के मादवि के अपराध की कायमी आरोपीगण के विरुद्ध की थी। उसके द्वारा की गई कायमी रिपोर्ट प्रपी 02 है जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। इस साक्षी ने अपने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि फरियादी ने जो आवेदन दिया था वह थाना प्रभारी के नाम से था तथा थाना प्रभारी ने कायमी करने के संबंध में उक्त आवेदन मार्क नहीं किया था परंतु इस साक्षी ने इस बात से इंकार किया कि उसने गलत अपराध की कायमी बिना किसी कारण के की है। यह साक्षी एक शासकीय सेवक है तथा उसने बताया है कि वह प्रधान आरक्षक लेखक के पद पर पदस्थ था ऐसी स्थिति में यह माना जायेगा कि वह अपने पदीय कर्तव्यों के निर्वहन में कार्य कर रहा था तथा उसके द्वारा लेख की गई प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रपी 02 विधि अनुसार लेख की गई थी। अतः इस साक्षी के कथनों से एवं फरियादी द्वारा थाने में घटना के संबंध में घटना के पुरख बाद लिखित आवेदन दिया जाना एवं उस पर प्रथम सूचना रिपोर्ट कायम होने से अभियोजन प्रकरण का समर्थन हो रहा है।

13/ विवेचक बैजनाथ सिंह असां 5 का अपने न्यायालयीन कथनों में कहना है कि वह दिनांक 20.07.2005 को थाना निवाड़ी में पदस्थ था। थाना प्रभारी निवाड़ी द्वारा उसे अपराध क्रमांक 151/05 की केश। डायरी विवेचना हेतु प्राप्त हुई थी विवेचना के दौरान घटनास्थल पर गया था और फरियादी राजेन्द्र नायक की निशानदेही पर घटनास्थल का मानचित्र मौके पर उसके द्वारा बनाया गया था जो प्रपी 06 है जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। फरियादी राजेन्द्र नायक असां 07 एवं कैलाश तिवारी असां 08 ने भी अपने न्यायालयीन कथनों में बताया है कि पुलिस ने घटनास्थल पर आकर नक्शाबोका बनाया था जिनके क्रमशः बी से बी और सी से सी भाग पर उनके हस्ताक्षर हैं। इस प्रकार उक्त साक्षियों के कथनों से घटनास्थल प्रमाणित हो रहा है तथा अभियोजन प्रकरण का समर्थन हो रहा है।

14/ विवेचक बैजनाथ सिंह असां 5 ने अपने न्यायालयीन कथनों में व्यक्त किया कि उसने घटनास्थल पोहा घाट से साक्षी सोनू तिवारी एवं अनिल के समक्ष एक जीप महिन्द्रा क्रमांक एमपी 15 ए 0648, एक मोटरसाइकिल हिरोहोण्डा पेशन जिसका चैचिस नम्बर 0262/ई 1628, एक बजाज कैलिवर मोटरसाइकिल जिस पर प्लेट नंबर आरजे 011/एम 2094 था, जप्त कर जप्ती पंचनामा बनाया था जो प्रपी 7 है जिस पर उसके ए से ए भाग पर हस्ताक्षर हैं उक्त जप्ती पंचनामा प्रपी 7 के संबंध में इस साक्षी के कथनों को अभियुक्तगण को और से कोई चुनौती नहीं दी गई है इसलिए इस

21.08.15
सुरेन्द्र सिंह

अभिजात तिवारी प्रथम श्रेणी

साक्षी के उक्त कथन पूर्णतः अखण्डनीय हैं और विश्वसनीय हैं तथा जपती पंचनामा प्र.पी. 07 के अवलोकन से यह स्पष्ट हो रहा है कि घटनास्थल से जप्त की गई मोटर साइकिल और जीप क्षतिग्रस्त हालत में थी तथा जीप में टूट-फूट होकर करीब दस हजार का नुकसान एवं हीरो होन्डा पेशन मोटरसाइकिल में करीब पच्चीस हजार का नुकसान एवं बजाज कैलिवर मोटरसाइकिल में करीब पन्द्रह हजार का नुकसान हुआ था। फरियादी राजेन्द्र नायक अ०सा० 07 एवं कैलाश तिवारी अ०सा० 8 ने भी अपने कथनों में उक्त मोटरसाइकिल और जीप को आरोपीगण द्वारा क्षतिग्रस्त करना बताया है। अतः ऐसी स्थिति में यह प्रमाणित पाया जाता है कि घटना दिनांक को घटनास्थल पर मोटरसाइकिलों और जीप में तोंड़-फोड़ कर उन्हें क्षतिग्रस्त किया गया था।

15/ विवेचक बैजनाथ सिंह अ०सा० 5 ने अपने न्यायालयीन कथनों में व्यक्त किया उसने आरोपी रमेश, हेमराज, धर्मेन्द्र, संतराम, अतर सिंह, मुलायम सिंह, सुरेन्द्र सिंह, शेर सिंह, मान सिंह, चन्द्रशेखर, पप्पू उर्फ अक्वेश को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पंचनामा तैयार किया गया था जो प्र.पी. 8 है जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। उक्त गिरफ्तारी पंचनामा चुनौती के अभाव में पूर्णतः विश्वसनीय है जिसके आधार पर यह प्रमाणित होता है कि प्रकरण में आरोपीगण को गिरफ्तार किया गया था। इस साक्षी ने अपने कथनों में व्यक्त किया कि उसने राजेन्द्र, सोनू, कैलाश नारायण, संजय, सुरेन्द्र राय, राजेन्द्र पुत्र प्रेमनारायण राय, कमलेश, कल्लू रजक, सोनू तिवारी और सुनील के कथन उनके बताए अनुसार लेख किए थे। इस साक्षी का कहना है कि उसने आरोपी हेमराज, रमेश, धर्मेन्द्र, मुलायम सिंह, अतर सिंह, सुरेन्द्र सिंह के मकान की तलाशी लेकर तलाशी पंचनामा बनाए थे जो प्र.पी. 8, 9 हैं जिनके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। उक्त तलाशी पंचनामा के अवलोकन से यह स्पष्ट हो रहा है कि उक्त तलाशी बेसुद रही थी, परंतु आरोपीगण के घर से घटना में प्रयुक्त हथियार बंदूक, कट्टा आदि जप्त न होने मात्र से अभियोजन प्रकरण में कोई संदेह नहीं माना जा सकता, क्योंकि यह सामान्य सी बात है कि यदि कोई व्यक्ति अवैध हथियारों को यदि किसी घटना में प्रयोग करेगा तो वह उन हथियारों को अपने घर में नहीं रखेगा।

16/ बचाव पक्ष का तर्क है कि आरोपीगण ने कोई घटना कारित नहीं की है और न ही किन्हीं अवैध हथियारों का प्रयोग किया है इसीलिए प्रकरण में आरोपीगण से कोई भी हथियार आदि जप्त नहीं हुए हैं, परंतु यहां यह ध्यान देने योग्य बात है कि आरोपीगण से घटना में प्रयुक्त हथियार पुलिस द्वारा जप्त न कर पाना यह विवेचना में कमी हो सकती है परंतु विवेचना में रह गई कमी का लाभ अभियुक्तगणों को प्रदान नहीं किया जा सकता।

17/ अभियोजन के अन्य साक्षी कमलेश अ०सा० 2, सुरेन्द्र कुमार अ०सा० 3, संजय राय अ०सा० 4, रोशन जैन उर्फ सोनू अ०सा० 6 ने अपने न्यायालयीन कथनों में आरोपीगण को नहीं पहचाना है और न ही घटना उनके सामने होना बताई है तथा न ही अभियोजन प्रकरण का कोई समर्थन किया है। अभियोजन अधिकारी द्वारा सूचक प्रश्न पूछे जाने पर भी उक्त साक्षियों ने अभियोजन प्रकरण का लेश मात्र भी समर्थन नहीं किया है। अतः उक्त साक्षियों के कथनों का अभियोजन को कोई लाभ प्राप्त नहीं होगा।

18/ बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता आर०बी० खरे का तर्क है कि घटना कहां पर हुई एवं वास्तव में कौन सी रेत खदान और वह किसके नाम पर थी इसके संबंध में अभियोजन की ओर से न तो उक्त रेत खदान की लीज प्रकरण में पेश की गई है और


3/15
अधिवक्ता
3/15
अधिवक्ता प्रथम श्रेणी
3/15
अधिवक्ता (प्र.प्र.)

न ही जिसके नाम लीज बताई जा रही है उस साक्षी सुनील बंशकार को खरिदित कराया गया है। साक्षी राजेन्द्र नायक ने अपने प्रतिपरीक्षण में भी स्वीकार किया है कि रेत खदान किस सर्वे नंबर पर है वह नहीं बता सकता एवं ठेके की अवधि कब से कब तक की थी यह नहीं बता सकता इसलिए उक्त खदान और घटनास्थल ही प्रमाणित नहीं हो रहा है। लेकिन उक्त साक्षी ने यह बताया है कि ठेके का रकवा 5 एकड़ था तथा घटना को करीब 5-6 साल हो गये है। इसलिए उसे मौखिक रूप से उक्त चीजे याद नहीं है। उक्त साक्षी का स्पष्टीकरण उचित है। साथ ही यहाँ यह ध्यान देने योग्य है कि घटनास्थल पर जो विवाद हुआ वह रेत खदान की लीज के संबंध में नहीं है बल्कि आरोपीगण द्वारा घटनास्थल पर आकर विधि विरुद्ध जमाव गठित कर फायर करना एवं रिष्टी कारित करने का है। जिसके संबंध में स्पष्ट साक्ष्य अभिलेख पर विद्यमान हैं। अतः ऐसी स्थिति में प्रकरण में मात्र रेत खदान की लीज प्रस्तुत न होने से अभियोजन प्रकरण संदिग्ध नहीं माना जा सकता। अतः बचाव पक्ष के अधिवक्ता का उक्त तर्क स्वीकार योग्य नहीं है।

19/ बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता आर०बी० खरे का तर्क है कि साक्षी राजेन्द्र नायक ने बताया है कि वह पार्टनर है किन्तु इसके संबंध में कोई दस्तावेज पेश नहीं है उक्त तर्क के परिपेक्ष्य में यह ध्यान देने योग्य है राजेन्द्र नायक अ.सा.7 ने अपने न्यायालयीन कथनों में बताया है कि रेत खदान का ठेका सुनील बंशकार के नाम था जिसमें वह एवं कैलाश तिवारी पार्टनर थे तथा यहाँ पर विवाद पार्टनर होने का नहीं है इसलिए उक्त संबंध में कोई दस्तावेज न पेश किये जाने का विपरीत प्रभाव अभियोजन प्रकरण पर नहीं पड़ेगा इसलिए बचाव पक्ष के अधिवक्ता का उक्त तर्क स्वीकार योग्य नहीं है।

20/ बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि मोटरसाइकिल व जीप के मालिकों का परीक्षण नहीं हुआ है इसलिए किसे रिष्टी कारित हुई यह स्पष्ट नहीं हो रहा है परन्तु यहाँ यह स्पष्ट किया जाना आवश्यक है कि रिष्टी के अपराध के लिए यह आवश्यक नहीं है कि अपराधी क्षतिग्रस्त या नष्ट सम्पत्ति के स्वामी को हानि या नुकसान कारित करने का आशय रखे। यह पर्याप्त है कि उसका यह आशय है या वह यह सम्भाव्य जानता है कि वह किसी सम्पत्ति की क्षति करके किसी व्यक्ति को चाहे, वह सम्पत्ति किसी व्यक्ति की हो या नहीं, सदोष हानि या नुकसान कारित करे। इस प्रकरण में आरोपीगण द्वारा मोटरसाइकिल एवं जीप में जानबूझ कर तोड़फोड़ कर रिष्टी कारित की गई है। अतः उक्त तर्क स्वीकार योग्य न होने से अस्वीकार किया जाता है।

21/ बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता आर०बी० खरे का तर्क है कि साक्षियों द्वारा यह नहीं बताया गया है कि कौन सा आरोपी कौन सा हथियार लिये था या रेत खदान चलाने से किसने रोका और किसने घमक्री दी यह स्पष्ट नहीं है। इस संबंध में साक्षी कैलाश अ.सा.-8 ने अपने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि अतरसिंह के हाथ में छोटी बंदूक थी, सुरेन्द्र के हाथ में पत्थर एवं शेरू यादव के पास भी कट्टा था एवं दो अज्ञात लोगों के हाथ में बड़ी बंदूकें थी तथा शेष उसे ध्यान नहीं है तथा सभी लोगों ने सामुहिक रूप से पैसे मांगे थे तथा किसी व्यक्ति विशेष को सम्बोधित करते हुए पैसे नहीं मांगे थे। यह भी ध्यान देने योग्य बात है कि जब किसी व्यक्ति पर 10-12 लोग मिलकर कट्टा बंदूक से फायर करेंगे तथा किसी व्यक्ति को


11.8.15

अरविन्द सिंह

न्यायिक मैजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी

मय कारित होगा तब ऐसी स्थिति में वह घटना का ज्यों का त्यों घटाव बता सके ऐसी सम्पीद उससे नहीं की जा सकती साथ ही यह भी ध्यान देने योग्य है कि घटना होने के कई साल बाद साक्षी के कथन न्यायालय में हुये है इसलिए उससे ज्यों के त्यों घटना का घटाव बताये जाने की सम्पीद नहीं की जा सकती अतः बचाव पक्ष का उक्त तर्क मान्य योग्य नहीं है।

22/ बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता आर०आर०साहू का तर्क है कि सन 1992 में साक्षी कैलाश तिवारी के भाई मनीष तिवारी का मर्डर हुआ था जिसमें अतर सिंह, मुलायम सिंह, सुरेन्द्र, मानसिंह आदि लोग मुल्जिम थे तथा वरी हो गये थे उक्त प्रकरण में पेशी चन्द्रशेखर सुक्ला अधिवक्ता ने की थी इसलिए उक्त रजिश्न के परिणाम स्वरूप यह झूठा केस आरोपीगण पर बनवाया गया है। साक्षी कैलाश तिवारी असा० ने अपने प्रतिपरीक्षण के पेश 18 में यह स्वीकार किया है कि उसके भाई की हत्या का मामला उक्त आरोपीगण के खिलाफ एवं वर्तमान आरोपी अतरसिंह और मुलायम सिंह वही लोग है एवं आरोपीगण शेरसिंह, मानसिंह, व सुरेन्द्र सिंह आरोपी अतर सिंह के सगे भाई है। इस साक्षी ने इस बात से इंकार किया है कि आरोपीगण अतर बगैरह से उसके भाई मनीष तिवारी की हत्या की बाद से रजिश्न से रखता है। साक्षी ने स्वतः का कि इन लोगों ने उसके भाई मनीष की हत्या नहीं की थी इसलिए उसने उनके खिलाफ गवाही नहीं दी थी इसलिए वह वरी भी हो गये थे। उक्त स्थिति में जब इस साक्षी ने उक्त मनीष तिवारी की हत्या वाले प्रकरण में आरोपीगण के विरुद्ध गवाही तक नहीं दी तब वह उनसे रजिश्न रखता हो यह नहीं माना जा सकता। साथ ही यह भी ध्यान देने योग्य है कि वह प्रकरण सन् 1992 का बताया गया है तथा यह कहना सन 2005 की अथात करीब 13 साल बाद की है ऐसी स्थिति में यह नहीं माना जा सकता कि आरोपीगण को रजिश्न इस मामले में झूठा फासाया होगा। अतः उक्त तर्क मान्य योग्य नहीं होने से अस्वीकार किया जाता है।

23/ अभियोजन के साक्षी फरियादी राजेन्द्र नायक अ०सा०-7 एवं कैलाश तिवारी अ०सा०-8 ने अपने न्यायालयीन कथनों में अभियोजन प्रकरण का पूर्णतः समर्थन किया है। तथा प्रथम सूचना रिपोर्ट के लेखन लखनलाल चौबे अ०सा०-1 एवं विवेक बैजनाथ सिंह अ०सा०-5 के कथनों से भी अभियोजन प्रकरण का पूर्णतः समर्थन हो रहा है। उक्त साक्षियों के प्रतिपरीक्षण में भी ऐसे कोई तात्विक विरोधाभास प्रकट नहीं हुए है जिनसे उनपर कोई युक्तियुक्त सन्देह उत्पन्न होता हो। अतः उक्त साक्षी पूर्णतः विश्वनीय है। यद्यपि अभियोजन के अन्य साक्षियों ने अभियोजन प्रकरण का समर्थन नहीं किया है परन्तु प्रकरण की गम्भीर परिस्थितियों एवं आरोपीगण के कृत्य को देखते हुए इस सम्भावना से इंकार नहीं किया जा सकता कि अभियोजन साक्षियों ने दबाव वंश या बुराई के डर से न्यायालय में सत्य कथन न दिये हो।

24/ अतः ऐसी स्थिति में सभी साक्षियों द्वारा अभियोजन प्रकरण का समर्थन न किये जाने के वाक्जुद भी अभिलेख पर आई उक्त साक्ष्य के विवेकन के परिणाम स्वरूप यह युक्तियुक्त सन्देह से परे प्रमाणित पाया जाता है कि आरोपीगण चन्द्रशेखर सुक्ला प्रमू उर्फ अवधेश तिवारी, रमेश खंगार, हेमराज खंगार, धर्मेन्द्र खंगार, अतरसिंह यादव, संतु उर्फ संतराम पाल, सुरेन्द्र, शेर सिंह यादव, मानसिंह यादव, मुलायम यादव ने घटना दिनांक 28.7.05 को दिन के करीब 11 बजे घटना स्थल वरुआ नाला ग्राम बासवान में गेह रेत घाट पर अन्तर्गत थाना निवाडी में विधि विरुद्ध ज़माव गठित

11.5.15
अरविन्द सिंह

अधीनस्थ अधिकारी प्रथम श्रेणी
विशेष निरीक्षण अधिकारी (म.प्र.)

1/56

8181

किया जिसका सामान्य उद्देश्य करियादी उन्हे-द नगक, कैलापु तिगरी एवं अन्य लोगो का मानव जीवन संकटागमन करनन एवं मोटरसाईकिलों और जीप को दतिप्रस्त कर रिपी कररित कर-ता तथा अन्य श्पराध कर-ता या तथा उनको जर्मान के सदस्य होने हुए सामान्य उद्देश्य के अगमनन में भारतक आगुन शर्कनन कटटा, बंदूको आदि से सुरजित्त होते हुए गिभि निरुद्ध जमाव पे भाग लेकर दस या द्दिग का प्रयोग करके बसवा कारित किया एवं सरी समय सगेवा या शरावलेपन से रोईकन कटटा से फायर करके मानव जीवन या वैयक्तिक श्रेग संकटागमन किया एवं मोटरसाईकिले एवं जीप तोडकर रिपी कारित की । आरोपी मुहागम गिभि यादव कणर है। अत गेग आरोपीगन चन्द्रशेखर शुक्ला ,पणू चर्फ अकधेश तिगरी, रमेश खंगार, हेमराज खंगार, धर्मन्द्र खंगार, अतरसिंह यादव, संतु चर्फ संतराम पाल, सुरेन्द्र सिह शेर सिंह यादव, मानसिंह यादव को गाठवारंग की धारा 147, 148, 336, 427 के आरोपों में सिद्धदोष पाया जाकर दोषसिद्ध किया जाता है। आरोपीगन के जर्मानत मुचसेके निरस्त कर उनको अगिरक्षा में लिया जाता है।

25/ आरोपीगन के अपराध की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए सिद्धदोष आरोपीगन की अपराधी परिवीक्षा अधिनियम के प्राक्धानों का साम दिया जाग न्यायालय उचित नही समझता है । आरोपीगन को दंड के प्रश्न पर सुने जाने के लिए निर्णय लेखन कुछ समय के लिए स्थगित किया जाता है।

[Signature]
11.8.15
अधीक्षक प्रभु
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
निवाडी जिल्ला टोकमगुल (म.प्र.)

पुनरच-

28/ आरोपीगन एवं उनके विद्वान अधिवक्ता को दंड के प्रश्न पर सुना गया उन्होंने व्यक्त किया कि आरोपीगन का यह पहला अपराध है तथा वह गिगत आठ वर्षों से विचारण का सामना कर रहे हैं तथा न्यायालय में लगातार उपस्थित होते रहे हैं। अतः कम से कम सजा दिये जाने का निवेदन किया । एणडीपीओओ ने आरोपीगन को कठोर से कठोर दंड देने का निवेदन किया प्रकरण की परिस्थितियों को देखते हुए और इस बात को ध्यान में रखते हुए कि आरोपीगन ने एकराय होकर सुनियोजित तरीके से अपराध किया यदि आरोपीगन को कठोर दंड नही दिया गया तो निश्चित ही समाज में इस प्रकार के अपराधो मे वृद्धि की संभावना बढ़ेगी ।

27/ आरोपीगन को धारा 148 एवं 147 भादवि में दोषसिद्ध पाया गया है अतः उन्हें उक्त दोनों अपराधों में दण्डित किया जाना आवश्यक नहीं है, बल्कि केवल दोनों में से गुरुतर अपराध में दण्डित किया जाना पर्याप्त है। अतः आरोपीगन चन्द्रशेखर शुक्ला ,पणू चर्फ अकधेश तिगरी, रमेश खंगार, हेमराज खंगार, धर्मन्द्र खंगार, अतरसिंह यादव, संतु चर्फ संतराम पाल, सुरेन्द्र सिह शेर सिंह यादव, मानसिंह यादव को भादवि की धारा 148 के अपराध के लिए प्रत्येक को 02-02 वर्ष के कठोर कारावास एवं 1000-1000/-रुपये इस प्रकार कुल 10,000/- रू

[Signature]
11.8.15
अधीक्षक प्रभु
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
निवाडी जिल्ला टोकमगुल (म.प्र.)

8/87

1/57

(बस हजार रुपये मात्र) के अर्थदंड से दण्डित किया जाता है. धारा 427 के अपराध के लिए प्रत्येक को 01-01 वर्ष के कठोर कारावास एवं 3000-3000 /-रुपये इस प्रकार कुल 30,000/-रुपये (तीस हजार रुपये मात्र) के अर्थदंड से दण्डित किया जाता है एवं धारा 336 के अपराध के लिए प्रत्येक को 03-03 माह के कठोर कारावास से दण्डित किया जाता है इस प्रकार सभी आरोपीगण को कुल मिलाकर चार-चार हजार रुपये कुल चालीस हजार रुपये के अर्थदंड से दण्डित किया जाता है। अर्थदंड में व्यक्तिगत पर प्रत्येक को प्रत्येक व्यक्तिगत पर तीन-तीन माह का अतिरिक्त कठोर कारावास भुगताया जावे। कारावास की सभी सजाएँ साथ-साथ भुगताई जावे।

28/ धारा 428 द0प्र0स0 के तहत आरोपीगण द्वारा इस प्रकरण-में निरोध में भोगी गई अवधि का प्रमाण पत्र बनाकर संलग्न किया जाये।

29/ प्रकरण में जप्त मोटरसाईकिल हीरो होण्डा पेशन क्रमांक यू.पी. 93 जे. 8926 चेचिस नम्बर 02621ई11628 पूर्व से सुपुर्दगीनामा पर दी जा चुकी है सुपुर्दगीनामा अपील अवधि पश्चात् भार-मुक्त हो। अपील की दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेशानुसार निराकरण किया जावे। जबकि अन्य जन्तयुदा मोटरसाईकल बजाज कैलिवर वैचिक नम्बर डी.डी.एफ.बी.एच.जी. 96845 एवं कमाण्डर महिंद्रा जीप डी.आई. क्रमांक एम.पी. 15 ए. 0648 उनके रजिस्टर्ड स्वामी को अपील अवधि पश्चात् विधिवत् वापिस की जावे।

30/ निर्णय की प्रति आरोपीगण को निःशुल्क प्रदान की जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में दिनांकित व भरे-बोलने पर टंकित किया गया हस्ताक्षरित कर घोषित किया गया

[Signature]
[अरविन्द सिंह]

न्यायिक सचिव/टैट प्रथम श्रेणी
निवाली-टीकमगढ़ (प्रदेश)

[Signature]
11.2.15
[अरविन्द सिंह]

न्यायिक सचिव/टैट प्रथम श्रेणी
निवाली-टीकमगढ़ (प्रदेश)

निर्णय प्राप्त का बिलानाक 8-9-15
अदालत के अतिरिक्त देव के अतिरिक्त 14-9-15
दिनांक 9-9-15
के अतिरिक्त
8-9-15

सत्य प्रतिलिपि

प्रमाणित/सचिवालय
प्रतिलिपि अनुभाग
निवाली जिला-टीकमगढ़

1/58

8/88



में

माननीय जनपद एवं सत्र न्यायाधीश महोदया,
झाँसी

विषय :- अपर सत्र न्यायाधीश (एफ0टी0सी0 द्वितीय) श्री विमल प्रकाश आर्य के कृत्यों की जांच कराने के सम्बन्ध में

महोदया,

विनम्र निवेदन है करते हुये अवगत कराना है कि आज दिनांक-12.11.2021 को सरका बनाम डालचन्द्र आदि के नाम से धारा-307 ता0हि0 थाना नबावाद अपराध संख्या-701/201 एवं एस0टी0-11/2017 न्यायालय श्रीमान अपर सत्र न्यायाधीश (एफ0टी0सी0 द्वितीय) व न्यायालय में तिथि नियत थी इसके पूर्व उपरोक्त प्रकरण में महोदया के न्यायालय में अन्तरण प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर दिया गया था जिसमें कल दिनांक-11.11.2021 को पत्रावली मंगाएं जाने हेतु मांग पत्र भी भेज दिया था मेरे द्वारा आज पता किया गया तो जानकारी हुई कि पत्रावली नहीं भेजी गयी है और अभियुक्तों के विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी अभियुक्तगण 1- डालचन्द्र 2- महेन्द्र कुमार की ओर से उपस्थिति क्षमा हेतु प्रार्थना पत्र इस आधार पर भेजा गया कि अभियुक्तगणों को जान का खतरा था मेरे द्वारा प्रार्थना पत्र अपने कार्यालय में कार्यरत श्री धमेन्द्र रायकवार व श्री उमेश वर्मा से भेजा गया श्री विमल प्रकाश आर्य द्वारा उनको जेल भेजने की धमकी दी गई और अशिष्टता की गई महोदया के संज्ञान में यह भी लाना आवश्यक है कि एक प्रकरण सरकार बनाम बाँबी अहिरवार धारा-302, 504 एवं 3/25 आयुध अधिनियम जिसका सत्र परीक्षण संख्या-138,139/2012 में दिनांक-10.08.2021 को अभियुक्त के गिरफ्तारी वारंट कर दिया गया था मात्र एक तिथि के गिरफ्तारी अधिपत्र पर अभियुक्त को अभिरक्षा में लेकर जेल भेजा गया और कई दिन बाद उसकी जमानत स्वीकार हुयी जमानत आदेश अन्य मामलों से अलग था महोदया के संज्ञान में यह भी लाना है कि दूसरा प्रकरण सरकार बनाम धीरेन्द्र श्रीवास आदि धारा-147,148,149,307 ता0हि0 थाना मऊरानीपुर जिला झाँसी जिसका सत्र परीक्षण संख्या-142/2008 में दिनांक-30.09.2021 को बिना जमानतीय गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया जिसमें 22.10.2021 व 09.11.2021 की तिथि नियत की गयी और 09.11.2021 को अभियुक्त अयोध्या का बिना जमानतीय गिरफ्तारी अधिपत्र वापस लिया गया यहाँ यह भी उल्लेख करना आवश्यक है कि एक तिथि के वारंट के अभियुक्त को जेल में रखने के बाद जमानत पर अवमुक्त किया जाता है और दूसरे अभियुक्त अयोध्या को तीन तिथियों का वारंट रिकॉल किया गया उनके द्वारा न्यायिक प्रक्रिया का दुरुपयोग किया जा रहा है।

अतः अनुरोध है कि जांच कराकर कार्यवाही कराने की कृपा करें।

दिनांक-12.11.2021

Seen. P. P. P.
12.11.21

प्रतिलिपि :-
श्री मान् नीरज तिवारी जी,
माननीय प्रशासनिक न्यायमूर्ति
माननीय उच्च न्यायालय प्रयागराज (इलाहाबाद)
उ0प्र0 को सादर प्रेषित

भवदीय
(चन्द्रशेखर शुक्ला)
अधिवक्ता

सी0जे0एम0 कोर्ट कम्पाऊड झाँसी

1/59

8/89

डा. नं. 138/2012
श्री. व. 138/2012

वि.शुल्क प्रतिलिपि

10.08.2022। पतावली श्री. नसीम खां (वि. 138/2012)
नामके राज्य डीपीएच/कॉन्सुल्टेंट डॉक्टर के
केस हाजिरी नामों का निष्पत्ति जहाँ दिनांक 23/3/22
तक 12:00 PM से राखे पतावली फुल
13:00 बजे फुल हो
~~...~~
10.08.2022

(17) ~~...~~

पतावली कापान्ट 13:00 बजे फुल फुल डी. फुल फुल
नामके राज्य डीपीएच/कॉन्सुल्टेंट डॉक्टर के
पतावली लंच डायन फुल फुल हो
~~...~~
10.08.2022

(20) ~~...~~

पतावली लंच डायन फुल फुल डी. फुल फुल
श्री. नसीम खां नामके राज्य डीपीएच/कॉन्सुल्टेंट डॉक्टर के
कॉन्सुल्टेंट डॉक्टर के डोर हाजिरी रहे व हाजिरी नामों का निष्पत्ति
कॉन्सुल्टेंट न करे के कारण राबि का राज्य कॉन्सुल्टेंट नहीं
किया जा सकता।
~~...~~

(21) ~~...~~

सत्य प्रतिलिपि
23/3/22
प्रधान प्रतिलिपिक
जिला एवं सत्र न्यायालय, झाँसी

पतावली दिनांक 27.08.2022 को नामके हाजिरी फुल
हो मुद्रांक नं. 138/2012 लंच हो विधिक डायन
फुल
~~...~~
10.08.2022

11/60

न्यायालय
जिला एवं सत्र
न्यायाधीश, झाँसी
(उत्तर प्रदेश)

8/90

सत्य प्रतिलिपि
15/3/22

16/3/22

23/3/22

16
23/3/22

निःशुल्क प्रतिलिपि

30-9-21

पुनरागमन पो नॉटिफिकेशन - मालाका
 प्रमाणिक परीक्षण के अंतर्गत एक वर्ष की
 लान्च वाहन के लिए

100

939/10

श्री. जे. डी.
 रामानंद शिवजी

एजा चल्ती लान्च वाहन ड्राइंग (अनोडोडॉन
 मोटोर्स, एफ. डि. गन, फोर्क ड्राइवियर मध्य आरबो एडी-5
 की एजिली मध्य ड्राइव फ्रंट एंड एरियल/अनोडोडॉन
 ब्रांडेड एम. गै. एल. ए. एम. NBSW व लान्च ड्राइव वाहन
 दिनांक 22.10.21 को वाहन एजिली फ्रंट एंड

(Signature)

न्यायालय
 सिविल सत्र
 कोर्ट, मॉसी
 (उत्तर प्रदेश)

न्यायक रटाम्ब साहेब	जुज	23/3/22
ग्रथना पत्र देने की	जुज	23/3/22
तारीख	जुज	16/3/22
100		15/3/22

1/61

STN/0-142/2018
राज्य एस-सी/रेवेन्यू/आवास

२२-१०-२१ पुकार पर अधिगोविन्द हाथिरहे
अधिकार-धीरेण्डु आवास व गोबु
की हाथरी भाफी डाक पत्र पेश आर
के लिए स्विकृत अधिअयोध्या गैर
हाथिरहे। द्वारा N.B.W गलब है
पशावली वाले हाथरी दिनांक
०१-११-२१ को पेश है।

09
11

नेहा उर्फ लाली (माता)

आर विन्दु (माता)

गोविन्द

अधिकार-धीरेण्डु
पशावली को
अधिकार-धीरेण्डु
गोविन्द
०१/११/२१

०१-११-२१

पुकार पर अधिगोविन्द की हाथरी
भाफी डाक पत्र पेश स्विकृत अधि
अधिकार-धीरेण्डु अधिअयोध्या
गैर हाथिरहे है। द्वारा N.B.W गलब
है। पशावली वाले हाथरी दिनांक
२१-११-२१ को पेश है।

29
11

X अधिअयोध्या प्रसव
गोविन्द
गोबु रामा की शक्ति



वर्द्ध अधिअयोध्या का वास्तु निस्स वा जा
पत्र प्रकृत पुगा स्विकृत अधिद्वारा 50000/-
का P.B. वास्तुल कृत पर N.B.W गलब
पशावली वास्तुल दिनांक २१-११-२१ को पेश है।
STN/नि-६१५५५८

8/92

1/62

सत्य प्रतिलिपि

प्रधान प्रतिलिपिक

जिला एस. एस. न्यायलय, आंसी



वि:शुल्क प्रतिलिपि
51B


100
15-03-22

न्यायालय श्रीमान अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश एफ.टी.सी. द्वितीय झांसी

एस.टी.नं०-142 सन 2018

सरकार बनाम धीरेन्द्र श्रीवास आदि

अं०घारा-147,148,149,452,307,504,506 आई०पी०सी०
थाना-मऊरानीपुर, जिला झांसी
मु०अ०सं०-254 / 2011



विषय:-बिना जमानती वारण्ट रि कॉल हेतु प्रार्थना पत्र

श्रीमान जी,

निवेदन है कि उपरोक्त प्रकरण में श्रीमान न्यायालय द्वारा दिनांक 30.09.2021 व 22.10.2021 को अभियुक्त/प्रार्थी के खिलाफ बिना जमानती वारण्ट के आदेश कर दिये हैं। अभियुक्त/प्रार्थी ने जानबूझकर कोई गलती नहीं की थी, बल्कि अभियुक्त/प्रार्थी जिलाधिकारी महोदय झांसी के आदेश के अनुसार अन्य मुकदमे में जिला बदल चल रहा था, इस कारण नियत तिथि पर 30.09.2021 पर हाजिर अदालत नहीं आ सका था, जिसकी अभियुक्त/प्रार्थी ने अपने अधिवक्ता को दी थी, अधिवक्ता ने अभियुक्त/प्रार्थी की हाजिरी माफी न्यायालय श्रीमान जी के यहां प्रस्तुत नहीं पाये जिस कारण अभियुक्त/प्रार्थी के बिना जमानती वारण्ट जारी कर दिये गये और दिनांक 22.10.2021 को अभियुक्त/प्रार्थी को नियत तिथि की जानकारी न होने की वजह से न्यायालय में उपस्थित नहीं हो सका था जिस कारण अभियुक्त/प्रार्थी के बिना जमानती वारण्ट आदेश पारित कर दिये गये हैं। अभियुक्त/प्रार्थी ने दिनांक 08.11.2021 को अपनी पत्रावली का मुआयना कराया तब अभियुक्त/प्रार्थी को जानकारी हुई कि अभियुक्त/प्रार्थी के खिलाफ दो तिथियों के बिना जमानती वारण्ट चल रहे हैं। अभियुक्त/प्रार्थी भविष्य में ऐसी गलती नहीं करेगा और तारीख पेशी पर नियमित रूप से आता रहेगा।

अतः श्रीमान जी से प्रार्थना है कि अभियुक्त/प्रार्थी के खिलाफ बिना जमानती वारण्ट रि कॉल करने का आदेश पारित करने की कृपा करें। श्रीमान जी की अति कृपा होगी।

दिनांक:-09.11.2021

अभियुक्त/प्रार्थी

अयोध्या प्रसाद

अयोध्या प्रसाद पुत्र ग्यादीन

नि०-कुरैचा थाना मऊरानीपुर, जिला झांसी

सत्य प्रतिलिपि

3/3/22
प्रधान प्रतिलिपिक

जिला एवं सत्र न्यायालय, झांसी

1/63

8/93

श्रीमान
नउल प्रसाद
झांसी
8/11/21
15/11/21

अभियुक्त/प्रार्थी के बिना जमानती वारण्ट जारी करने के लिए प्रार्थना पत्र है।
ता.दि.
100
15/3/22
23/5/22
16/3/22
15/3/22



लि: 2/2021

न्यायालय श्रीमान अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश एफ.टी.सी. द्वितीय झांसी

एस टी नं० 142 सन 2018

सरकार बनाम श्रीरेन्द्र श्रीवास आदि

अं०भारा- 147,148,149,452,307,504,506 आर्डर/पी०सी०
थाना मकरानीपुर, जिला झांसी
गु०अ०सं० 254/2011

शपथपत्र मिनजानिब अयोध्या प्रसाद पुत्र ग्यादीन नि०-कुरैचा थाना मकरानीपुर, जिला झांसी शपथपूर्वक ब्यान करता है कि:-

1. यह कि शपथकर्ता उपरोक्त प्रकरण में अभियुक्त है तथा हालात मुकदमा से पूर्णतः वाकिफ है।
2. यह कि उपरोक्त प्रकरण में श्रीमान न्यायालय द्वारा दिनांक 30.09.2021 व 22.10.2021 को शपथकर्ता के खिलाफ बिना जमानती वारण्ट के आदेश कर दिये है। **शपथकर्ता ने जानबूझकर कोई गलती नहीं की थी, बल्कि शपथकर्ता जिलाधिकारी महोदय झांसी के आदेश के अनुसार अन्य मुकदमे में जिला बदल चल रहा था, इस कारण** नियत तिथि पर 30.09.2021 पर हाजिर अदालत नहीं आ सका था, जिसकी शपथकर्ता ने अपने अधिवक्ता को दी थी, अधिवक्ता ने शपथकर्ता की हाजिरी माफी न्यायालय श्रीमान जी के यहां प्रस्तुत नहीं पाये जिस कारण शपथकर्ता के बिना जमानती वारण्ट जारी कर दिये गये और दिनांक 22.10.2021 को शपथकर्ता को नियत तिथि की जानकारी न होने की वजह से न्यायालय में उपस्थित नहीं हो सका था जिस कारण शपथकर्ता के बिना जमानती वारण्ट आदेश पारित कर दिये गये है। शपथकर्ता ने दिनांक 08.11.2021 को अपनी पत्रावली का मुआयना कराया तब शपथकर्ता को जानकारी हुई कि शपथकर्ता के खिलाफ दो तिथियो के बिना जमानती वारण्ट चल रहे है। शपथकर्ता में ऐसी गलती नहीं करेगा और तारीख पेशी पर नियमित रूप से आता रहेगा। शपथकर्ता के खिलाफ बिना जमानती वारण्ट रिकॉल करने का आदेश पारित किया जाना आवश्यक है।



16/3/21 23/3/21 100 15/3/21

तस्दीक:-यह कि उपरोक्त शपथकर्ता शपथपूर्वक तस्दीक करता है कि शपथपत्र की दफा 1 लगायत 2 मेरी निजी जानकारी में सच व सही है इसमें कोई भी तथ्य झूठ्यायालय नहीं है यह तस्दीक आज दिनांक 09.11.2021 को अहाता कचहरी झांसी की गयी जिला एवं सत्र न्यायाधीश, झांसी (आदेश)

दिनांक 9/11/21
मिनजानिब श्री... पुत्र...
शपथकर्ता
फीस शुल्क पाया गया।

शपथकर्ता

शपथ आयुक्त
जोखदारी-झांसी

सत्य प्रतिलिपि

8/94

1/64

सेवा में,

श्रीमान रजिस्ट्रार जनरल महोदय,
उच्च न्यायालय प्रयागराज- इलाहाबाद उ0प्र0

विषय- न्यायालय F.T.C. II झांसी पीठासीन श्री विमल प्रकाश आर्या द्वारा की जा रही अनियमितताओं के संबंध में।

श्रीमान जी,

उपरोक्त न्यायालय में नियुक्त पीठासीन अधिकारी श्री विमल प्रकाश आर्या द्वारा पक्षकारों का शाम 06:00 बजे तक तिथियां नियत ना कर अनावश्यक उत्पीड़न किया जा रहा है एवं उक्त अधिकारी भ्रष्ट आचरण में लिप्त है एवं मनमाने तरीके से पत्रावलियों में आदेश पारित करते है जिसके कुछ उदाहरण निम्नलिखित है-

1. सत्र परीक्षण सं0- 55/2010 रारकार बनाम भूपेन्द्र एवं अ0धारा 302/201 IPC थाना सीपरी बाजार के प्रकरण में कोविड संक्रमण के दौरान दिनांक 11.02.2021 को अभियुक्त कल्लू उर्फ राजकुमार के अधिवक्ता द्वारा दिए गए हाजिर माफी प्रार्थन को निरस्त कर N.B.W जारी कर दिए गए दिनांक 16.02.2021 को अभियुक्त ने न्यायालय में आत्म समर्थन कर NBW चिरस्त करने हेतु प्रार्थना पत्र दिया जिसे खारिज करते हुए अभियुक्त को कोविड संक्रमण के समय में न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया तत्पश्चात् अभियुक्त की ओर से जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया जो न्यायालय से स्वीकृत हुआ इस प्रकार पीठासीन अधिकारी द्वारा कोविड संक्रमण को दौर में एक ही तिथि के NBW पर करीब 20 दिन अभियुक्त को जेल में रहना पड़ा इस प्रकार का आचरण अत्याधिक कठोरता पूर्ण व गलत है।
2. यह कि सत्र परीक्षण सं0 244/19 बनाम सुधीर कुशवाहा धारा 380, 411, 413, 420 आई0पी0सी0 थाना नवाबाद में अभियुक्त 27.07.2020 को जेल से रिहा होने के बाद एवं कोविड के कारण लॉकडाउनं लग जाने के कारण व

Cont...2

Appdity - 07.05.21
order no 02-03-21

Handwritten signature

8/95

2/1

न्यायालय का काम-काज बाधित रहने के कारण उसे अग्रिम तिथि हेतु कोई सूचना न्यायालय से प्राप्त नहीं हुई और दिनांक 05.01.2021 को NBW जारी कर दिये गये जिसमें वह 20.01.2021 को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया एवं महज एक तिथि के वारण्ट पर उसे काफी समय तक जेल में निरन्तर रहना पडा पीठासीन अधिकारी का यह आचरण अत्यन्त कठोर व आलोचनात्मक है।

3. यह कि सत्र परीक्षण सं० 168/13 सरकार बनाम मनमोहन एवं अन्य धारा 307 थाना नवाबाद में माननीय उच्च न्यायालय में समझौते के आधार पर इस न्यायालय से समझौतानामा तस्दीक किया जाकर उच्च न्यायालय भेजा जा चुका है फिर भी पीठासीन अधिकारी उक्त प्रकरण में नजदीक-नजदीक की तिथियां लगाकर एवं अभियुक्त को तीन चार बजे से पहले तिथि प्रदान नहीं करते है। पीठासीन अधिकारी का यह आचरण गलत व अशोभनीय है।

4. यह कि पीठासीन अधिकारी कथिपय प्रकरणों मे भ्रष्ट आचरण मे रहकर मनमाने तरीके से प्रभावित होकर फैसले देते है जिससे सम्पूर्ण न्यायपालिका की छवि धूमित हो रही है।

5. यह कि पीठासीन अधिकारी की विमल प्रकाश आर्या द्वारा शाम को 5-6 बजे तक पक्षकारों को रोककर रखा जाता है एवं जिन प्रकरणों में कोई कार्यवाही नहीं होनी होती है उनमें भी काफी विलम्ब से भोजन अवकाश के बाद ही तिथियां दी जाती है जिससे पक्षकारों को अनावश्यक परेशानी होती है।

6. यह कि श्री विमल प्रकाश आर्या आर्थिक रूप से प्रभावित होकर (भ्रष्ट आचरण) में लिप्त है और कई अधिवक्ताओं द्वारा उनकी शिकायतें आप से मौखिक व लिखित रूप से की गई है।

7. यह कि श्री आर्या द्वारा सत्र परीक्षण सं० 203/13 सरकार बनाम महाराज एवं अन्य धारा 364 आई०पी०सी० थाना गुरसरांय के प्रकरण में पक्षद्रोही

(3)

साक्ष्य होने के बावजूद एवं अभियुक्तगण द्वारा उनकी आर्थिक मांग की पूर्ति न कर पाने के कारण सजायाब किया गया है।

8. यह कि श्री आर्या द्वारा मा0 उच्चतम न्यायालय से अभियुक्त की जमानत हो जाने के बाद जमानत F.T.C.I के प्रभारी की हैसियत से धनराशि नियत करने से इन्कार कर दिया था तथा अधिवक्ता द्वारा आप को लिखित व मौखिक शिकायत करने पर सत्र न्यायाधीश के हस्तक्षेप करने पर जमानत धनराशि नियत की गई थी इस प्रकार श्री आर्या का आचरण न्यायिक गरिमा को विपरीत है। जिसकी छायाप्रति सलग्न है।


अतः श्रीमान जी से निवेदन है कि FTC II झांसी श्री विमल प्रकाश आर्य के विरुद्ध विभागीय कार्यावाही करते हुए आपराधिक वादो का कार्य वापस लेने की कृपा करें।

दिनांक- 03/12/21

प्रतिलिपि-

मा0 जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय झांसी।

भवदीय


रमेश कुमार यादव

(एडवोकेट)


(मो० न०- 9451131007)

नि:शुल्क

27/01/21

पतावली पेश हुई। पुकार पर
क्रिमियुक्त सुधीर कुशावाहा व निरिन
सामानाद का हाथी मार्गो परत पर
काय हेतु दत्त हेतु। शेष क्रिमियुक्त
गैर हाथी ही क्रिमियुक्त जरीए NBW/NS
व ल र डी पतावली वाहेन हाथी डिपेंड
27-01-21 का पेश ही

ADIFCC



15-3-21

27-1-21 पुकार पर क्रिमियुक्त गैर हाथी, सुधीर
की हाथी के मार्गो परत पर आज हेतु ही
क्रिमियुक्त सुधीर कुशावाहा व धर्मेंद्र
गैर हाथी क्रिमियुक्त सुधीर कुशावाहा व धर्मेंद्र
कुशावाहा का NBW/NS लाने हेतु पतावली
दिनांक 20-2-21 को पेश ही हाथी पेश
ही

ADIFCC/444PC

डीएमजी NBW
आदेशिका
दिनांक
4/1/21

26/02

Nit IV
सुशावाहा ->

26-02-2021

पतावली पेश हुई। पुकार पर अधिशुक्त
निरिन उप-शाखा। अधि-सुधीर अनुमस्थित। ग्वालियर
जेल से अधि-सुधीर का NBW/NS लाने हेतु।

अधिशुक्त धर्मेंद्र कुशावाहा, धर्मेंद्र शयकवार
की संबंधित धाने की पुलिस द्वारा गिरफ्तारी
वारंट पर गिरफ्तार करके आज-थायालय के
सम्पर्क प्रस्तुत किया गया। आदेश हुआ कि
उक्त अधिशुक्तगणों का 309 Cr.Pc. का वारंट
बनाकर अधिशुक्त को जिला कारागार प्रेषित किया
जाये। आदेश का अनुपालन किया गया। पतावली
वास्तु अधिशुक्त दि. 26.02.2021 को पेश ही।

वारेण्ट अधिशुक्त - 5
उप-शाखा अधिशुक्त धर्मेंद्र शयकवार
निरिन उप-शाखा
निरिन उप-शाखा अधिशुक्त धर्मेंद्र शयकवार
पद को अधिशुक्त अधिशुक्त
दिनांक 20-02-21

216

8/100

सत्य प्रतिलिपि ADJ/FTC-1

23/3/21
प्रधान प्रतिलिपिक

जिला एवं सत्र न्यायालय, झाँसी

आवश्यक स्तम्भ भरने के
प्राथम्यता पत्र देने का
तारीख

97
1/1/21

16/3/21

23/3/21

का हस्ताक्षर

10.11.2020 पुणे - ए. कोडी अतिरिक्त नही। अग्रिम के
 बाबत यह उच्च न्यायालय के नोटिस का
 इंतजार किया जा रहा है। दिनांक 18.12.2020
 को बाबत F.O. पेश हो।


10/11/2020

18/12/20 पुणे - ए. कोडी अतिरिक्त नही। अग्रिम के
 उपाय नही। नि. 01/2020 अंतर्गत पेश
 सुलह नाम के बाबत मान 325 - न्यायालय
 के आदेश का इंतजार किया जा रहा है। दिनांक
 दिनांक 27.01.21 को बाबत F.O. पेश हो।

27
 01
 21

09
 02

HEAD OFFICE - 2



27.1.21 पुणे - ए. कोडी अतिरिक्त नही। अग्रिम के
 अंतर्गत, ए. कोडी अतिरिक्त नही। अग्रिम के
 अंतर्गत, ए. कोडी अतिरिक्त नही। अग्रिम के
 अंतर्गत, ए. कोडी अतिरिक्त नही। अग्रिम के
 अंतर्गत, ए. कोडी अतिरिक्त नही। अग्रिम के
 दिनांक 09.2.21 को
 बाबत F.O. पेश हो।

AS

ADD/FTC/144/FC

09.02.21 पुणे - ए. कोडी अतिरिक्त नही। अग्रिम के
 अंतर्गत, ए. कोडी अतिरिक्त नही। अग्रिम के
 अंतर्गत, ए. कोडी अतिरिक्त नही। अग्रिम के
 अंतर्गत, ए. कोडी अतिरिक्त नही। अग्रिम के
 अंतर्गत, ए. कोडी अतिरिक्त नही। अग्रिम के
 दिनांक 24.03.2021 को बाबत F.O. पेश हो।

भद्रमोहन सिंह
 श्रीरंदासिंह

8/102

2/8

09.02.2021

मनमोहन सिंह
 एरिन्ड्र सिंह


06.09.2021 - प्रकार पर कठिनाय मंगोहन को सहित
 मानो मारी कान हनु वहीना डान के मर;
 पीपीए-कठिनाय मरों को कठिनाय मरों मर
 है कि मर मर मर मर मर मर मर मर मर
 इस मर मर को मर मर मर मर मर मर
 कथनी मर मर मर मर 24.09.2021 को मर
 A.O. मर मर
 06.09.2021

18
 -10

 21
 मनमोहन सिंह
 एरिन्ड्र सिंह

24-9-21

प्रकार पर कठिनाय मंगोहन,
 एरिन्ड्र सिंह को कठिनाय मर
 मर मर मर मर मर मर मर मर
 पत्रावली मर मर मर मर
 18-10-21 को मर मर



9/ASJ/FTC.14th/12

05
 /
 11

18-10-21

प्रकार पर कठिनाय मंगोहन सिंह,
 एरिन्ड्र सिंह व गोविन्द सिंह को
 मर मर मर मर मर मर मर मर
 पत्रावली मर मर मर मर
 दिनांक 05-11-21 को मर मर
 मर

ASJ/FTC.14th/12

23
 /
 11

09
 /
 11

08-11-21

प्रकार पर कठिनाय मर मर मर
 मर मर मर मर मर मर मर मर
 पत्रावली मर मर मर मर
 23-11-21 को मर मर

01/04

2/10

ASJ/FTC.14th/12

57 N.O. - 168/2013

दिनांक 25 मंत्रमोहन आदि

श्रीरेन्द्रसिंह

20-11-21 पुकार पर अशिकाप मन्मोहन व श्रीरेन्द्र सिंह

हैं। अशिकाप मन्मोहन, गोविन्द

की हाथरी भांफी जालपत्र पेश

क्रमांक 06-09-21 को वास्तु

फि. 0 पेश है।

ASJ/सि. 444

20

12

मन्मोहन सिंह
श्रीरेन्द्रसिंह

02-12-21

पुकार पर अशिकाप मन्मोहन व

श्रीरेन्द्रसिंह शेष अशिकाप की

हाथरी भांफी जालपत्र आज

है। अशिकाप मन्मोहन व श्रीरेन्द्र सिंह

22-12-21 को वास्तु फि. 0

पेश है।

ASJ/सि. 444

22-12-21

पुकार पर गोविन्द की हाथरी भांफी

जालपत्र आज है। अशिकाप शेष अशिकाप


मन्मोहन व श्रीरेन्द्रसिंह हाथरी है अशिकाप

आदेश क्रमांक - 06-9-21 का अनुपालन

करे पत्रावली वास्तु फि. 0 दिनांक

06-01-22 को पेश है।

ASJ/सि. 444



मन्मोहन सिंह
श्रीरेन्द्रसिंह

28

01

22

मन्मोहन सिंह
श्रीरेन्द्रसिंह

06-1-22

पुकार पर अशिकाप मन्मोहन व श्रीरेन्द्र सिंह

हाथरी है अशिकाप गोविन्द सिंह की हाथरी

भांफी जालपत्र आज है। अशिकाप

दिनांक 06-9-21 का अनुपालन करे।

पत्रावली वास्तु फि. 0 दिनांक

28-01-22 को पेश है।

ASJ/सि. 444

28-1-22-

Copy-17

22
17
22

पत्रावली पेश अफि गौरीन्द की
हाल ही मोफी. गाल पर आग है
स्वीडन शेष अफि गाल हाथ
है। पत्रावली वास्तु F.O
दिनांक - 23-02-22 को पेश
अफि गाल - 06-09-21 का अडपारि
के।

जनमी हाथें
हीरेन्द्र सिंह

ASG/वि.वि.पर

23-2-22

पत्रावली पेश हुकर पर
अफि गौरीन्द की हाथ
मोफी. गाल पर आग है
स्वीडन शेष अफि गाल हाथ
है। पत्रावली वास्तु F.O
दिनांक - 22-3-22 को पेश
के।

जनमी हाथें 22
3
हीरेन्द्र सिंह 22

ASG/वि.वि.पर

म.व.
A.P.G.E.

म.व.
23/3/22
जनमी हाथें
हीरेन्द्र सिंह

